सत्यमेव जयते

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)

फ़ा.संख्या: रा.भा./362/2023-राजभाषा दिनांक:08/7/2024

परिपत्र

विषय: हिंदी के प्रयोग के संबंध में निरीक्षण।

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक 31.07.2024 को श्री त्रिरत्न, उप निदेशक(राजभाषा), उत्तर उप अंचल, मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा इस कार्यालय का राजभाषायी निरीक्षण किया गया। उनके द्वारा प्रत्येक शाखा का निरीक्षण किया जाएगा। अतः निरीक्षण पूर्व आपकी शाखा से निम्नानुसार कार्रवाई अपेक्षित है :-

1. सभी रजिस्टरों, वेतन बिल रजिस्टरों, सेवा पंजिकाओं/अभिलेखों और फ़ाइलों के शीर्षक द्विभाषी होना अनिवार्य है।
2. शाखाओं की नेम प्लेट, रबड़ की मुहर आदि भी द्विभाषी होना अनिवार्य है। यदि द्विभाषी नहीं हैं तो सामान्य शाखा को तुरंत सूचित करें।
3. धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेज़ द्विभाषी रूप में होने चाहिए ।
4. सभी रजिस्टरों, वेतन बिल रजिस्टरों, सेवा पंजिकाओं/अभिलेखों और फ़ाइलों में प्रविष्टियाँ हिन्दी में होनी चाहिए।
5. उपस्थिति पंजिका में कर्मचारियों के नाम व हस्ताक्षर हिन्दी में होना चाहिए तथा उपस्थिति पंजिका का नामशीर्ष द्विभाषी बनाया जाए।

अनुरोध है कि उपर्युक्त दर्शाए गए बिंदुओं पर उचित कार्रवाई करके अनुपालन रिपोर्ट 15 /07/2024 तक इस शाखा को अवश्य भेज दें।

Signed by Sweety Yadav
Date: 08-07-2024 21:12:55
(डॉ. स्वीटी यादव)
सहायक निदेशक (राजभाषा)

प्रतिलिपिः-

1. उप क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम की सभी शाखाएं